पत्रांक–3/एम0–51/2015 सा0प्र0 2763/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

श्रीमती अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग/विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 23.2.2016

विषयः– सेवा संवर्गों में आपसी वरीयता निर्धारण के सामान्य सिद्धांत और प्रकिया।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सेवा संवर्गों में आपसी वरीयता के निर्धारण के संबंध में विभागीय परिपत्र सं0–3/आर01–106/72–15784–का0 दिनांक– 26.08.1972 निर्गत है। उक्त परिपत्र की कंडिका–3(i)(ग) में प्रावधानित है कि *"सीधी भर्त्ती वालों की वरीयता उनकी प्रथम नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार होगी..... /"*

2. उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन में उन मामलों में कठिनाई होने लगी, जिनमें अनुशंसित अभ्यर्थियों का योगदान अत्यधिक विलम्ब से, किसी–किसी मामले में एक या दो वर्षों के बाद, स्वीकार किया गया। अतएव सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी है।

3. तदनुसार विभागीय परिपत्र सं0–3/आर01–106/72–15784–का0 दिनांक–26.08.1972 की कंडिका– 3(i)(ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

"3(i)(ग) किसी मामले में माननीय न्यायालय के किसी अन्यथा आदेश को छोड़कर सीधी भर्त्ती के मामलों में आवंटनादेश /नियुक्ति आदेश निर्गत

होने की तिथि के एक वर्ष के अंदर योगदान करने वाले सरकारी सेवकों की आपसी वरीयता का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आयोग द्वारा अनुशंसित मेधाक्रम के अनुसार किया जायेगा। परंतु आवंटनादेश/नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के एक वर्ष के अंदर योगदान नहीं देकर अगले वर्ष/वर्षों में योगदान देने की स्थिति में उनकी वरीयता आवंटनादेश/नियुक्ति आदेश वाले वर्ष में न होकर योगदान वाले वर्ष में योगदान के आधार पर मेधाक्रम में होगी।"

विश्वासभाजन

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)
सरकार के अपर सचिव